संख्या-46/2025/001-499-2025-1737372-12-2099-151-2023

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2025**

विषय:- राज्य पोषित 'त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम' अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-W&M/13/त्वरित मक्का विकास कार्य0/2025-26 दिनांक 23 अप्रैल 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया राज्य पोषित 'त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम' अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 का लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 102-खाद्यान्नों की फसलें, 03-त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के मानक मद 27-सब्सिडी, 42-अन्य व्यय एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान में प्राविधानित धनराशि क्रमश: 2050.00 लाख, 679.00 लाख एवं 7.80 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 2737.20 लाख (सत्ताईस करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष मानक मद 27-सब्सिडी, 42-अन्य व्यय एवं 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं का भुगतान में धनराशि क्रमश: 2050.00 लाख, 679.00 लाख एवं 7.80 लाख अर्थात कुल धनराशि रूपये 2737.20 (रूपए सत्ताईस करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा लम्बित दायित्व की कुल धनराशि रूपये 387.04 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से व्यय करने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(5) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(7) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।

(10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(11) प्रदेश में मक्का के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य पोषित 'त्वारित मक्का विकास कार्यक्रम' योजना का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद/कार्यो में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001020300 (त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001020300 त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	27 सब्सिडी	20,50,00,000 (रुपये बीस करोड़ पचास लाख मात्र)
2	011	2401001020300 त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	6,79,40,000 (रुपये छह करोड़ उनासी लाख चालीस हजार मात्र)
3	011	2401001020300 त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	58 आउट सोर्सिंग	7,80,000 (रुपये सात लाख अस्सी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			सेवाओं हेतु भुगतान	
	कुल			**27,37,20,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार मात्र)**

महायोग	27,37,20,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-46(1)/2025/001-499-2025-1737372-12-2099-151-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।